

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.07.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 28.07.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.किशोर उराव पुत्र मखूराम उराव साकिन डंडवा थाना भरनो जिला गुमला झारखण्ड** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 गैलन में भरा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसी क्रम में **01.अजय महली पुत्र मोहन महली साकिन नतीलो थाना लोहरदंगा जिला लोहरदंगा झारखण्ड** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 गैलन में भरा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.राजेश यादव पुत्र स्व0 सुभाष निवासी लखना ऊर्फ डोमडीह वार्ड नं0 6 थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 गैलन में भरा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.रामअशीष यादव पुत्र गोरखनाथ यादव निवासी मदरापाली थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक जैरिकेन से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक **28.07.2021** को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के थाना गौरीबाजार द्वारा 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➔ थाना गौरीबाजार- मु0अ0सं0 220/2021 धारा 323,504,506,352,308 भा0द0वि0 नाम पता अभियुक्त-01.दीनानाथ चैरसिया 02.मुन्नालाल चैरसिया पुत्रगण भभूति चैरसिया 03.विशाल चैरसिया पुत्र मुन्नालाल चैरसिया 04.विकास चैरसिया पुत्र मुन्नालाल चैरसिया सा0 सिरजम थाना गौरीबाजार देवरिया

03.निरोधात्मक कार्यवाही:-

दिनांक 28.07.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➔ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 26 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

04.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही:-

दिनांक 28.07.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➔ वाहन चेकिंग के दौरान 110 वाहनों से 1,06,500 रुपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।